



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062025-263676
CG-DL-E-09062025-263676

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2025/ज्येष्ठ 16, 1947

No. 328]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2025/JYAISTHA 16, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 06 जून, 2025.

सा.का.नि. 371(अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 398 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (दस्तावेजों और प्रारूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में आगे और संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (दस्तावेजों और प्रारूपों प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा फाइल करना) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम 14 जुलाई 2025 से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (दस्तावेजों और प्रारूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा फाइल करना) नियम, 2015 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में, उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(1क) ऐसी कंपनी जिसने उप-नियम (1) के अधीन अपने वित्तीय विवरण फाइल किए हैं, वो अधिनियम की धारा 134 (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों सहित) के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट सम्यक रूप से अधिप्रमाणित हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों की एक प्रति ई-प्ररूप एओसी-4 एक्सबीआरएल में पीडीएफ प्रारूप में संलग्न करेगी।”

3. उक्त नियमों में, उपाबंध-1 में, “ई-प्ररूप एओसी-4 एक्सबीआरएल” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“प्ररूप सं. एओसी-4 एक्सबीआरएल



प्ररूप की भाषा

● अंग्रेज़ी ● हिंदी

रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरणके संबंध में
एक्सबीआरएल दस्तावेज और अन्य दस्तावेज
फ़ाइल करने के लिए प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12(2) के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

कंपनी की जानकारी

1 (क) * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) *फाइल करने की तारीख को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)

(ग) *फाइल करने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी

3 वित्तीय वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं

* से (दिन/माह/वर्ष)

*तक (दिन/माह/वर्ष)

सामान्य जानकारी

4 (क) * निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी जाती है

(दिन/माह/वर्ष)

(ख)(i)*वित्तीय विवरणों की प्रकृति



(अनंतिम अप्रयुक्त वित्तीय विवरण/अपनाए गए वित्तीय विवरण/

धारा 130 के तहत संशोधित वित्तीय विवरण/धारा 131 के तहत संशोधित वित्तीय विवरण)

(ii) संशोधन की प्रकृति

☐ वित्तीय विवरण☐ निदेशकों की रिपोर्ट☐ दोनों

(iii) क्या अनंतिम वित्तीय विवरण पहले दायर किए गए

☐ हाँ☐ नहीं☐ लागू नहीं

(iv) क्या स्थगित एजीएम में अपनाया गया

☐ हाँ☐ नहीं☐ लागू नहीं

(v) तुलन-पत्र को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में न अपनाने के तथ्य और कारणों का उल्लेख कीजिए

(vi) स्थगित एजीएम की तिथि जिसमें वित्तीय विवरण अपनाए गए थे (दिन/माह/वर्ष)

(vii) प्ररूप आईएनसी-28 का एसआरएन

(viii) प्ररूप एओसी-4/एओसी-4 एक्सबीआरएल का एसआरएन

(ix) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

एजीएम विवरण

5 (क) क्या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई थी

☐ हाँ☐ नहीं☐ लागू नहीं

(ख) यदि हाँ, तो एजीएम की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ग) यदि नहीं, तो एजीएम आयोजित न करने के तथ्य और कारण निर्दिष्ट करें

(घ) एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ङ) क्या वार्षिक आम बैठक के लिए कोई विस्तार दिया गया है

हां ☐☐ नहीं

(च) जीएनएल -1 प्ररूप का एसआरएन

(छ) यदि हां, तो विस्तार प्रदान करने के बाद एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष)

वित्तीय विवरण

6 (क) * उद्योग का प्रकार

(वाणिज्यिक और औद्योगिक/बैंकिंग कंपनी/बीमा कंपनी/आरबीआई के साथ पंजीकृत पावर कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी))

ख) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू होती है;

☐ हां

☐ नहीं

(ग) क्या वित्तीय विवरण इंड एस वर्गीकरण

☐ हां

☐ नहीं

के आधार पर तैयार किए गए हैं

7 क्या समेकित वित्तीय विवरण भी दायर किए जा रहे हैं

☐ हाँ

☐ नहीं

8 (क) सरकारी कंपनी के मामले में, क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(भारत के कैग) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत

ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या उसे पूरक किया है

☐ हाँ

☐ नहीं

(ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त टिप्पणियां(टिप्पणियां) अथवा

अनुपूरक (अनुपूरक) का ब्यौरा उपलब्ध कराएं

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक का उत्तर

(घ) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने धारा 143

☐ हां

☐ नहीं

के अंतर्गत पूरक या जांच ऑडिट किया है

सचिवीय लेखा परीक्षा

9 *क्या सचिवीय लेखापरीक्षा लागू होती है

☐ हाँ☐ नहीं

10 *क्या निदेशक की रिपोर्ट धारा 134(3) के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण संलग्न है

☐ हाँ☐ नहीं

11 कंपनी के मामलों की स्थिति का वर्णन करें (संक्षेप में)

एसबीएन विवरण

12 (क) 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान धारित एवं लेन-देन किए गए विनिर्दिष्ट

बैंक नोटों (एसबीएन) का ब्यौरा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है: -

विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
i: 08.11.2016 को उपलब्ध क्लोजिंग नकदी			
ii (+) अनुमत प्राप्तियां			
iii (-) अनुमत भुगतान			
iv (-) बैंकों में जमा राशि			
v 30.12.2016 को उपलब्ध क्लोजिंग नकदी			

(ख) क्या लेखा परीक्षकों ने यह सूचित किया है कि क्या कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों में धारिता और लेन-देन के बारे में अपने वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण प्रदान किए थे और यदि हां, तो क्या ये कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुसार हैं

☐ हाँ ☐ नहीं

13 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्टिंग

1 सीएसआर प्रयोज्यता के अनुसार

(धारा 135/खर्च न की गई सीएसआर राशि के लिए रिपोर्ट/लागू नहीं)



संलग्नक

(क) * धारा 134 के अनुसार विधिवत अधिप्रमाणित एक्सबीआरएल वित्तीय विवरण (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों सहित)		फाइल चनें	हटाना	दाखलाना
(ख) समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में एक्सबीआरएल दस्तावेज		फाइल चनें	हटाना	दाखलाना
(ग) *धारा 134 के अनुसार विधिवत अधिप्रमाणित वित्तीय विवरणों की प्रति (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों सहित)		फाइल चनें	हटाना	दाखलाना
(घ) समेकित वित्तीय विवरणों की विधिवत प्रति धारा 134 के अनुसार अधिप्रमाणित (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित) और अन्य दस्तावेज)		फाइल चनें	हटाना	दाखलाना
(ङ) धारा 143 के तहत पूरक या परीक्षण लेखापरीक्षा रिपोर्ट		फाइल चनें	हटाना	दाखलाना
(च) भारत के सीएजी की टिप्पणियों का विवरण		फाइल चनें	हटाना	दाखलाना
(छ) वैकल्पिक संलग्नक (कों) - यदि कोई हो		फाइल चनें	हटाना	दाखलाना

घोषणा

मुझे संकल्प संख्या * दिनांकित* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल ने इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों और उसके संबद्ध मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

(1) इस रूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सही, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए कोई सूचना सामग्री दबाई या छिपाई नहीं गई है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है

(2) यह पुष्टि की जाती है कि संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज और अन्य सभी दस्तावेज जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के तहत अपेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न या संलग्न किया जाना आवश्यक है, विधिवत हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों की एक्सबीआरएल परिवर्तित प्रतियां हैं। यह भी पुष्टि की जाती है कि ऐसे दस्तावेज कंपनी (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेजों और प्रपत्रों की फाइलिंग) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित एक्सबीआरएल

वर्गीकरण का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

(3) सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

*पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ/परिसमापक/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/

समाधान पेशेवर (आरपी))

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन या

अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक; या

सचिव की सदस्यता संख्या

प्रैक्टिस पेशेवर द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है। यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके तहत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों और उसके संबंधित मामलों का अध्ययन किया है और मैंने उपरोक्त विवरणों (अनुलग्नकों सहित) को कंपनी/आवेदक द्वारा बनाए गए मूल/प्रमाणित रिकॉर्ड से सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु हैं और उन्हें सच, सही और पूर्ण पाया है, और इस प्ररूप की कोई सूचना सामग्री दबाई नहीं गई है। मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि:

- (1) उक्त रिकॉर्ड कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा ठीक से तैयार, हस्ताक्षरित किए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार बनाए रखे गए हैं और इन्हें क्रम में पाया गया है;
- (2) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज सभी भौतिक मामलों में, लेखापरीक्षित वित्तीय रूप से उचित रूप से एक्सबीआरएल वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत किए गए जैसा कि कंपनी (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में प्ररूप) नियम, 2015 तहत अधिसूचित किया गया है;
- (3) सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ा गया है;
- (4) यह समझा जाता है कि मैं गलत प्रमाणन, यदि कोई हो, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

डीएससी बॉक्स

***डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना**

- ☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- ☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- ☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

* चाहे एसोसिएट हो या फेलो

☐ एसोसिएट ☐ फेलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

रक्षा कर

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान/प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं।

या

यह ई-प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के विवरण के आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

यह ई-प्ररूप एतद्वारा पंजीकृत है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

[फा. सं. 01/19/2013-सीएल-v(pt)]

बालामुरुगन डी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग-2 खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 692(अ), तारीख 09 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा इनमें अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2025

G.S.R. 371(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 398 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the 14th day of July, 2025.

2. In the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1A) The companies which have filed their financial statements under sub-rule (1), shall also attach a copy of signed financial statements duly authenticated as specified in section 134 of the Act (including Board’s report, auditors’ report and other documents) in PDF format in eForm AOC-4 XBRL.”

3. In the said rules, in Annexure-I, for “eForm AOC-4 XBRL”, the following shall be substituted, namely:-

“Form No. AOC-4 XBRL

Form for filing XBRL document in respect of statement and other documents with the
[Pursuant to section 137 of the Companies Act, And rule 12(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014]



**financial
Registrar
2013**

Form language

☒ English ☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Company Information

1 (a)*Corporate Identity Number (CIN)

(b)*Authorized capital of the company as on the date of filing (in Rs.)

(c)*Number of members of the company as on the date of filing

2 (a)*Name of the company

(b)*Address of registered office of the company

(c)*Email id of the company

3 Financial year to which financial statements relates

*From (DD/MM/YYYY)

*To (DD/MM/YYYY)

General Information

4 (a)*Date of Board of Directors' meeting in which financial statements are approved (DD/MM/YYYY)

(b)(i)*Nature of financial statements

*(Provisional unadopted Financial statements/Adopted Financial statements/
Revised Financial statements u/s 130/Revised financial statements u/s 131)*

(ii) Nature of revision

☐

Financial statement

☐

Directors' Report

☐

Both

(iii) Whether provisional financial statements filed earlier

☐

Yes

☐

No

☐

Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM

☐

Yes

☐

No

☐

Not applicable

(v) Specify the fact and reasons for not adopting balance sheet in the annual general meeting (AGM)

(vi) Date of adjourned AGM in which financial statements were adopted (DD/MM/YYYY)

(vii) SRN of form INC-28

(viii) SRN of form AOC-4/ AOC-4 XBRL

(ix) Date of order of competent authority (DD/MM/YYYY)

AGM details

5 (a) Whether annual general meeting (AGM) held

☐

Yes

☐

No

☐

Not applicable

(b) If yes, date of AGM (DD/MM/YYYY)

(c) If no, specify the fact and reasons for not holding the AGM

(d) Due date of AGM (DD/MM/YYYY)

(e) Whether any extension for AGM granted

☐

Yes

☐

No

(f) SRN of form GNL-1

(g) If yes, due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

Financial details

6 (a) *Type of Industry

(Commercial & Industrial/Banking Company/Insurance Company/
Power Company/Non-banking Financial Company (NBFC) registered with RBI)

(b) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable

☐ Yes ☐ No

No

(c) Whether financial statements have been drawn on the basis of

☐ AS taxonomy ☐ Ind AS taxonomy

7 Whether consolidated Financial Statements are also being filed

☐ Yes ☐ No

8 (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor
General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented
the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013

☐ Yes ☐ No

(b) Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India

(c) Director's reply(s) on comments received from CAG of India

(d) Whether CAG of India has conducted supplementary or test audit under section 143

☐ Yes ☐ No
Secretarial audit

9 *Whether Secretarial Audit is applicable

☐ Yes ☐ No

10 *Whether detailed disclosure with respect to Director's report Sec 134(3) is attached

☐ Yes ☐ No

11 Describe of state of company's affairs (in brief)

SBN details

12 (a) Details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from 8th November, 2016 to 30th
December, 2016 as provided in the Table below :-

Particulars	SBNs	Other denomination notes	Total
i Closing cash in hand as on 08.11.2016			
ii (+) Permitted receipts			
iii (-) Permitted payments			
iv (-) Amount deposited in Banks			
v Closing cash in hand as on 30.12.2016			

(b) Whether the auditors have reported as to whether company had provided
requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as

☐ Yes ☐ No

dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December 2016 and if so, whether these are in accordance with the books of accounts maintained by the company

13 REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1 CSR applicability pursuant to

(Section 135/Report for unspent CSR amount/Not applicable)

Attachment(s)

(a)*XBRL financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents)

(b) XBRL document in respect Consolidated financial Statement

(c) *Copy of financial statements duly authenticated as per section 134 (including auditors' report and other documents)

(d) Copy of consolidated financial statements duly authenticated as per section 134 (including auditors' report and other documents)

(e)Supplementary or test audit report under section 143

(f)Details of comments of CAG if India

(g)Optional attachments (s) – if any

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number *

Dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

(1) Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company

(2) It is confirmed that the attached XBRL document(s) are the XBRL converted copy(s) of the duly signed Financial Statements and all other documents which are required to be annexed or attached to the Financial Statements as required under Section 137 of the Companies Act, 2013. It is further confirmed that such document(s) have been prepared using the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015.

(3) All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/Manager/Secretary/CEO/CFO/Liquidator/Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP))

***Director identification number of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator; or Membership number of the secretary**

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified record maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

(1) The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

(2) It is further certified that the attached XBRL document(s) fairly present, in all material respects, the audited financial statements of the company, in accordance with the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015

(3) All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;

(4) It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

- ☐ Chartered accountant (in whole-time practice)
☐ Cost accountant (in whole-time practice)
☐ Company Secretary (in whole-time practice)

*** Whether associate or fellow**

- ☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of Practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

OR

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This eForm is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

DSC BOX

Date of signing (DD/MM/YYYY)

„

[F. No. 01/19/2013-CL-V(Pt.)]

BALAMURUGAN D, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 9th September, 2015 and was last amended, *vide* number G.S.R. 794(E), dated the 15th October, 2019.